

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2021

अधिसूचना
सं. 04/2021-राज्य कर

क्रमांक एफ-10-30/2021/वाक/पांच(32).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 95/2020-राज्य कर क्रमांक एफ 10-08/2021/ वाक/पांच(17) दिनांक 9 फरवरी, 2021 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 140 तारीख 22 फरवरी, 2021 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, “28-02-2021” अंको के स्थान पर “31-03-2021” अंको को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 28 फरवरी, 2021 से जारी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 10 मई 2021

क्रमांक एफ-10-30/2021/वाक/पांच(32).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-30/2021/वाक/पांच(32), दिनांक 10-05-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 10th May 2021

NOTIFICATION
No. 04/2021 – State Tax

No. F-10- 30/2021/CT/V(32).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), read with rule 80 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Notification No. 95/2020-State Tax, No. F 10-08/2021/CT/V(17), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 9th February, 2021, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 140, dated the 22th February, 2021, namely:-

In the said notification, for the figures “28-02-2021”, the figures “31-03-2021” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force on 28th February 2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.